

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक- 278/आर-133/2021/ब-1/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/03/2021

आयुक्त,
कोष एवं लेखा,
पर्यावास भवन, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट अनुमान, प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक अनुमान के बजट आवंटन के संबंध में।

- संदर्भ:-1. इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एल 1-10/951/2020/ब-7 डीएमसी/चार भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2020
2. इस विभाग का परिपत्र 61/आर 840/2020/ब-1/चार भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2021
3. इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एल 1-10/51/2021/ब-7 डीएमसी/चार भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2021

—00—

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम अनुपूरक अनुमान के शेष रहे प्रावधानों में आवंटन विमुक्त किया जाता है।
2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान के लिये मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) अधिनियम, 2021 दिनांक 12/03/2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है। द्वितीय अनुपूरक अनुमान का डेटा आईएफएमआईएस में अपलोड कर दिया गया है। विभागों को व्यय के लिये द्वितीय अनुपूरक में प्रावधानित बजट आवंटन को विमुक्त किया जाता है।
3. केंद्र प्रवर्तित योजनाओं एवं केंद्र क्षेत्रीय योजनाओं के लिये त्रैमासिक व्यय सीमा से शिथिलता प्रदान की जाती है।
शेष दिशानिर्देश संदर्भित परिपत्रों के अनुसार लागू रहेंगे। उपरोक्तानुसार आईएफएमआईएस में कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आईरीन सिंथिया)

संचालक बजट

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 16/03/2021

पृ. क्रमांक- 279/आर-133/2021/ब-1/चार
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
संबंधित विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग